# प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानसभा को जानकारी प्रदान करना है। प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

**अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन**

यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और राज्य की वित्तीय स्थिति का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसमें प्रमुख सूचकांकों का व्यापक राजकोषीय विश्लेषण और घाटा/आधिक्य, ऋण स्थिति और प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति शामिल हैं।

**अध्याय II: बजटीय प्रबंधन**

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य शासन के विनियोगों और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों को प्रतिवेदित करता है।

**अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालियाँ**

यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर–अनुपालन पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और लेनदेन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों वाली प्रतिवेदनें, वैधानिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन अलग–अलग प्रस्तुत किए जाते हैं।

## राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदनें राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कराने का प्रबंध करते हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य शासन के नियंत्रण में आने वाले कोषालयों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों के साथ–साथ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे संकलित करते हैं। इन लेखों का स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए आकड़ों का मुख्य स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजटः अनुमानों के संदर्भ में राजकोषीय मापदंडों और आवंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम।
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों के पास मौजूद अन्य डेटा (लेखांकन के साथ–साथ एमआईएस)
- जीएसडीपी डेटा और राज्य संबंधी अन्य आँकड़े
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम
- वित्त आयोग की सिफारिशें।
- भारत के सीएजी की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें।
- भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रथाएँ और दिशानिर्देश।

विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ 17 सितंबर 2025 को एक आगम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने में अपनाये जाने वाली लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को बताया गया। सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ 03 फरवरी 2026 को एक बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन की प्रतिक्रिया (06 फरवरी 2026) को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

## शासकीय लेखे की संरचना

राज्य शासन के लेखें तीन भागों में रखे जाते है।

### 1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य शासन द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित हैं। इस निधि से कोई भी धनराशि केवल विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और रिति से ही विनियोजित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण भुगतान आदि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होती हैं और विधानसभा में मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान द्वारा किए जाते हैं।

### 2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानसभा द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है ताकि राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे व्यय को अधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सके। निधि की प्रतिपूर्ति, राज्य की समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे करके की जाती है।

### 3. राज्य के लोक लेखे (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अलावा, शासन द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन राशि, जहां शासन बैंकर या न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा किए जाते हैं। लोक लेखे में अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और बिना ब्याज सहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और बिना ब्याज सहित), प्रेषण और सस्पेंस मद (ये दोनों ही अस्थायी मद हैं, जिनका अंतिम वर्गीकरण होना बाकी है) जैसी चुकाने योग्य मदें शामिल हैं। शासन के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं होता है।

## शासकीय लेखों की संरचना